27/6/24 को पेश हो

27/6/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाए उपस्थित।
P.O साहब दीगर कार्य में [illegible] है।
पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 2/7/24
को पेश हो।

2/7/24 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। सीमाज्ञान रिपोर्ट पर प्रस्तुत आपत्ति प उभय पक्ष का सुना गया। पत्रावली एवं सीमाज्ञान रिपोर्ट तथा जवाब आप का गहनता से अवलोकन किया गया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 01.03.2024 अवलोकन से जाहिर होता है कि सींवजोड़ काश्तकारों को सूचित नही कि गया है। कानूनन आसपड़ोस के खातेदारों की मौजूदगी में वादग्रस्त आराजी मध्य सीमा निर्धारित की जाकर फर्द मौका तैयार करनी चाहिए थी। पत्राव पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे ज्ञात होता हो कि राजस कर्मचारी/अधिकारी द्वारा सीमाज्ञान हेतु निर्धारित तिथि, स्थान व समय प उपस्थित होने बाबत कोई नोटिस जारी किया गया हो। सीमाज्ञान रिपोर्ट प नक्शा नही बनाया गया है। मुस्तकिल बिन्दू से चारो दिशाओं से मापर किय जाना नही पाया गया है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान रिपोर्ट पर आपत्ति स्वीकार किया जाता है। दिनांक 01.03.2024 की सीमाज्ञान रिपोर्ट निरस्त की जाती है। तहसीलदार पाटन को निर्देश दिये जाते है कि सींवजोड़ समस्त काश्तकारों को विधिवत सूचित किया जाकर दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष तथा चारों कोनों पर सीमाचिन्ह कायम करते हुए पुनः सीमाज्ञान कर पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार पाटन को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल [illegible] दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:53:51 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Scanned with OKEN Scanner